

पत्रांक ११४५ / ३६ से
सेवा में,

दिनांक रानीखेत ०५/०६, २०२४.

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में घुघति कैलानी मसमौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.044 हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।


सन्दर्भ :- भारत सरकार का पत्रांक ४वी./ यू.सी.पी./ ०६/६०/२०१७/ एफ.सी./ ११८४ दि. ०६.१०.१७।
महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कशना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद अल्मोड़ा घुघति कैलानी मसमौली मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति कुछ शर्तों के साथ प्रदान की गयी थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समरत शर्तों का निम्नानुसार अनुपालन कर लिया गया है :-

क्र.सं.	शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.088 हेतु ग्राम उगलियासीम सिविल रोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथोसंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् रखीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.088 हेतु ग्राम उगलियासीम की सिविल भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2713/12-1(2) दिनांक 29.12.2017 द्वारा वांछित धनराशि रु 528958.00 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है तथा उक्त सिविल भूमि का वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के आदेश संख्या 400/ग्यारह-04/2018-19 दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 द्वारा किया जा चुका है। (संलग्न १ व २)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 2713/12-1(2) दिनांक 29.12.2017 द्वारा एन.पी.वी. हेतु वांछित धनराशि 685908.00 का भुगतान किया जा चुका है। (संलग्नक-3)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो वढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय क प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन वद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या- 3 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो वढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या-5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है तो उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	शर्त संख्या- 4 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां हेतु वांछित धनराशि 1214866.00 का भुगतान वृक्षारोपण निधि प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के खाते में Online Portal के माध्यम से चालान जनरेट किया जा चुका है। (संलग्नक-5)


पेज-२

5	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां समंवय हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता हो सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एंतेसी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बदला प्रेषित की जानी है।	शर्त संख्या-५ के अनुपालन में राफ़क निर्माण के पश्चात जहां जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एंतेसी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation किया जाएगा, ऐस्थानिकत वचनबद्धता प्रमाण पत्र सलन है। (संलग्नक-६)
6.	State Govt. will submit revised hard copy of the NPV calculation sheet and also upload the same online recheck as different density is mentioned in NPV calculation given in hard copy as compared to NPB calculation sheet online.	एन.पी.टी. प्रमाण पत्र (Calculation Sheet) संलग्न है। (संलग्नक-७)
7.	State Govt. will submit original hard copies of the geo referenced digital maps of the forest land proposal diversion and the land proposed for CA duly authenticated by DFO and upload the same in online Part I & Part II at designated places.	शर्त संख्या-६ के अनुपालन में CA के लिए प्रत्यावित क्षेत्र के Revised Geo Referenced map जिसमें Polygon के प्रत्येक Corner Point के Geo Coordinates दिखाये गये हैं को Online Part-I में Upload कर दिया गया है।
8.	State Govt. will provide hard copy of the FRA certificate hard copy of CA scheme uploaded online.	FRA Original Certificate संलग्न है। (संलग्नक-८)


अधिकारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
राजीव राजीवेत।

पत्रांक

तददिनांकित
प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(तृतीय), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, राजीव राजीवेत को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अधिकारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
राजीव राजीवेत।

A&T/A&E IIIrd upload it in M/S

卷之三

三

जनपद अलोड़ा मे विकास खण्ड स्थान्दे के अनंतगत पुणी केला-2-परांगी केला-2
मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने याली 1.044 हेक्टरय गाडी के रागेश क्षेत्र-वृक्षारोपण और
दोगुनी बेत्रफल की कुल-2.088 हेक्टरय सिविल भूमि को नियन्त्रणसार वन निधि के प्रभावसारण
नियन्त्रण मे हस्तान्तरित / नामान्तरित किये जाने के साथ ने प्रगत्य रशील शब्दरा अलोड़ा 2.
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या-2173 / XVIII(III)2012-18(120)/2010, [२०१०-
११] दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुशासन मे उत्तराखण्ड गोदावरी के निवासी एवं
प्रभावित होने वाली वनभूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु रिहिल भूमि वालों के लिए जाने
के साथ- मे उपजिल्लाधिकारी भिक्षियासेण / स्थान्दे के पत्रांक 01 / निर्धिष्ठ / 2010- 19 [२०१०-०१
अक्टूबर, 2018 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर यादक विभाग अधिकारी अधिगत्या, प्राचीन विवाद,
लोनिनिधि, रानीखेत, जनपद अलोड़ा के पत्रांक 2679 / 36 री. दिनांक: 06.10.2018 के द्वारा
प्रेषित किये गये प्रस्ताव के साथ निम्नवत: अभिलेखों सहित क्षतिपूरक-वृक्षारोपण नेतृत्व-पात्र १०
०६.२०१४ को चयनित की गई भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, यवनित की युक्त भूमि की संरक्षिती,
व खसरा एवं चयनित भूमि का मोका नवशा एवं निर्धारित प्राज्ञ-2, तथा एक लिवलिंग की
भिक्षियासेण / स्थान्दे की संरक्षित आख्या सहित अपर प्रगत्य वन रास्तक, गारू रास्ता,
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय न्यूटो परिस्तर, देहरादून के पर्यावरण
०८वीं / यूसीपी० / ०६ / ६० / २०१७ एफ०सी० / ११८४, दिनांक: 06.10.2017 के द्वारा [२०१०-
सेढान्तिक स्वीकृति के द्वारा निर्गत आदेश के आधार पर क्षतिपूरक-वृक्षारोपण नेतृत्व-पात्र
उगलियासीम राजन्य उप निरीक्षक क्षेत्र-देघाट तहसील-स्थाल्दे, के मैलोंज निर्माण के लिए विवाद
संख्या-15 की श्रेणी-९(३) ड "बंजर काबलि आवाद" भूमि के पैमायरी खेत चावर-४९१ रोड २०१०-
०८८८. हेक्टरय, की कुल 2.088 हेक्टरय सिविल भूमि को उवत प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया।
है। उत्तराखण्ड गोदावरी क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग वृक्षारोपण
नियन्त्रण मे नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार स्थाल्दे उपतानुसार राजन्य अधिकारी
अमलदरामद करने उपरान्त खतोनी नकल की प्रति प्रभावीय वनाधिकारी, वन प्राणी, अलोड़ा १
उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

१५

~~1000~~

3

(निति रिंग ग्रामीण)
मिला अधिकारी,
अलोड़।

कायालिय जिला अधिकारी, अलोड़ा

- ४०८ /ग्यारह-८४ /२०१८-१९, तिनांक: ३। अवटर, २०१८

श्रुतिविधि: उम्माकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्ययाही हेतु प्रयोग होता है।

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

2- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम-बृक्ति, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

3- उप जिलाधिकारी, भिक्षासेवन / स्थान्दे जनपद अल्मोड़ा।

4- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोहानीपुरी, रानीखेत जनपद अल्मोड़ा।

5- तहसीलदार, स्थान्दे को उदयतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेगिता।

(निति न रिंग गदौरिया)
जिल्ला अधिकारी

प्रायाप्ति अत्याधित
पाठ्यक्रम संग्रहालय

गणेश चौक, नवी मुंबई - 400 017
फ़ोन: 022-22042204, 022-22042205
मोबाइल: 9820622040, 9820622050

सत्यानक - १

कब्जा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि धुरती कैलानी मसमौली मोटर मार्ग के निर्गाण हेतु 1.044 हेक्टेयर वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगने क्षेत्रफल में ग्राम उगलियसीम, तहसील स्याल्दे की 2.088हेक्टेयर सिविल भूमि का दिनांक 16.08.2018 को संयुक्त निरीक्षण कर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।

वन दरोगा
लाम्बांडीन | कानोड़ी

वन क्षेत्राधिकारी
जांरासी

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अधिकारी
प्रा०ख०, लो०गि०पि०
रानीखेत

संलग्नक - O2

प्रभारीय चन्नाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रायाग, अल्मोड़ा
फूलास ०५०६२-२३००६५, फैसल ०५९०२-२३२१८२ ई-मेल almondanpr@ncl.res.in
पात्रक १२७/३, १२१२-१२१४ अल्मोड़ा राज्य २९२५१०००४
रोड में

अधिकारी अधिकारा
प्रान्तीय खण्ड, लोहिंदिं रानीखेत

जनपद अल्मोड़ा में पुष्टि- केतानी- पश्चोत्ती घोटर यार के निम्न रुपूँ १.०४४
है० वन भूमि का लोहिंदिं को प्रत्याहरित।

संदर्भ – आपकी पत्र सं० ३०९६ / ३६८०० / दिनांक २२.१२.२०१७

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ पत्र के क्रम में उक्त घोटर यार के लोहिंदिं जाने का बाली धनराशि पुनः संशोधित कर भेजी जा रही है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्रमांक	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
१	एन०पी०१००	१.०४४	६,५७,०००.०० प्रति रुपूँ	६,४५,९०३.००
२	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	२,०४४	२,५३,३३२.०० प्रति रुपूँ	५,२८,९५६.००
३	वरिचोजना के आस पास खाली पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण योजना	—	—	—
४	प्रभावित दस गुना वृक्षों को वृक्षारोपण योजना	—	—	—
५	१०० वृक्षों की वृक्षारोपण योजना	—	—	—

अतः उगत हिमाल नोट आनलाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा निपात नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत करने का कर करें।

गवरीय,
मृत्ति वृक्षारोपण
प्रान्तीय चन्नाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्राप्ति अल्मोड़ा

31/11/18

गवरीय,

प्रान्तीय चन्नाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्राप्ति अल्मोड़ा

छायाप्रति रात्यापित

रात्यापक अधिकारी
पाठ्य०, लोहिंदिं
रानीखेत

50 - 504126

Kehlalten

— अस्तियोन्नता का जारी होना चाहिए।

प्रमाणित किया जाता है कि रक्षण स्तर से गहि शुह चर्तमान मूल्य की दरों में बढ़तरी होती है तो बढ़ि हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनरक्षण लोक विधिवादीय दारा जमा की जाएगी।

प्रान्तीय लकड़ लोक निर्माण हिंगा.
प्रान्तीय लकड़ लोक निर्माण हिंगा.
सहायक अधिकारा.
कोनिल गोभियन्ता
एनीखेत
एनीखेत

Bhiksha

सहायक अधिकारी
प्रा० ५०, लो० १००३०
सन्तरेश

04 - ~~Index~~

સુજાતા

साहायक अभियन्ता
लोकनिधि ०५०४०.

संख्या ५० - ५०

परियोजना का नाम :-

जनपद अलगोड़ा में घुघटि केलानी मराठी तक गोटर गार्ड के
निर्माण हेतु 1.044 हेतु चर्चा का गर वानिकी कार्यालय लोक
निर्माण विभाग को प्रत्यक्षतन।

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के परवान जहां-जहां समय हो, सड़क के दोनों
किनारों तथा Central verge पर लोक निर्माण विभाग द्वारा आने व्यय पर वन विभाग की देख रेख से Slip.
Plantation किया जायेगा।


 कानिष्ठ अधिकारी
 प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय छापड, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय-छापड, लोक निर्माण विभाग,
 लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय छापड, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय-छापड, लोक निर्माण विभाग,
 लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय छापड, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय-छापड, लोक निर्माण विभाग,


 सहायक अधिकारी
 कानिष्ठ अधिकारी अधिकारी
 प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय छापड, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय-छापड, लोक निर्माण विभाग,


 रानीखेत
 लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय छापड, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय-छापड, लोक निर्माण विभाग,


 अधिकारी अधिकारी
 अधिकारी अधिकारी


छायाप्रति सत्यापित
 सहायक अधिकारी
 प्रान्तीय-छापड, लोक निर्माण विभाग
 रानीखेत

परियोजना का नाम :- उत्तरी - बैलानी शे अस्सीली कोटि रुपय 1.04;

एनोपी०वी० की धनराशि का आकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन मन्त्रालय के आदेश संख्या ५-३ / २००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ में उल्लिखित व्यवराश के अनुसार आवेदन वन भूमि हेतु एनोपी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

- 1- ईको-वलास श्रेणी.....
- 2- हरियाली का घनत्व
- 3- एनोपी०वी० की दर प्रति है ६,८८,८८०/-
- 4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल है ११०४५
- 5- कुल देय एनोपी०वी० की धनराशि रु ६४५९०८/- (इच्छा लाभ, पर्यावरण वन भूमि)

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रमाण अन्मोड़ा

आयाप्रति सत्यापित

सहायक अधिकारी
प्राथम. लोनिंदि
रानीखेत

अन्तर्गत उपलब्धतागत संगोष्ठी

केन्द्रीय लोगों की भौतिक प्रक्रिया का विवरण है। यहां पर्याप्त जानकारी

प्रथम चरण	प्रथम	दूसरे	तीसरे	चौथे	पाँचवे	छठे	पाँचवे
सर्वे तीसरे कर्ता हैं। मे							
1 दोज की सुधाई (झाली) कराना आरे।	2,000	97	202	536			
2 अधिग दियाल बन्दी (फिसिं ट्री गड़ी) 340 लोडो 80.45×1.00	2,000	504	1219	392			
3 1 किमी 10 तक पश्चर ढुलान सहित	153	339	51067				
मुदा एवं जल संरक्षण संग्रहण हेतु कर्ता जल खाल कराई							
4 4.1 अवरोधक निमाई चारसप्तिक धैक और	15	4000	60000				
4.2 याटर हार्डिंग टैक	15	4000	60000				
4.3 स्टोन चैकड़ेम बनाना	10	20000	200000				
गडहें खुलान 0.30×0.30×0.45	2297	7.33	16857.01				
5 कन्ट्राफर्स खुलान 0.30×0.30×0.45							
6 निरीक्षण बढ़िया बनाना	2,000	485	1012.68				
7 अन्य कार्य	2,000	500	1044				
8 अन्य व्यय जैसे संयन्त्र औजार तेज कराना अन्य कार्यों पर व्यय	2,000	500	1044				
9 योग प्रथम चरण							
हितीय चरण							
गटहें भरान कराई 0.30×0.30×0.45	2297	1.5	3445.5				
1 पौधों की कीमत	2297	8	183.6				
पौधों का ढुलान 100×8/km × 169 प्रति हजार	2297	6.39	14677.83				
2 पौधा रोपण एवं थावला बनाना	2297	2.06	4731.82				
3 कन्ट्रूर फर्म में बीज लुआई							
निराई गुडहै मालिंग (दो बार) 2×100×0.76	2297	0.76	1745.72				
4 खाद एवं दवा पर व्यय	2,000	420	876.96				
5 प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देखा—रेखा च रखरखाव पर व्यय 8 माह	2,000	4768	9955.584				
6 8.1 वृक्षारोपण अन्तर्गत घास फूस ज्वलनशील पदार्थ हटाना	2,000	350	730.8				
7 8.2 सुरक्षा दियाल व धेरबाड के बाहर 10 मी० पट्टी साफ करना	2,000	225	469.8				
8 साइन बोर्ड पौध ढुलान आदि कर्य फोटोग्राफी प्रचार प्रसार	2,000	400	835.2				
9 योग द्वितीय चरण							
तृतीय चरण							
वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्रिम सुरक्षा हेतु	2,000	400	835.2				
1 प्रोत्साहन							
रोपण दर्द के उपरान्त प्रथम वर्ष में रुच रखाच व अनुरक्षण कराई	2,000	7152	14933.376				
2 12 माह तक							
वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत							
3 2.1 सुखे घास फूस व ज्वलनशील पदार्थ को काटना / हटाना	2,000	350	730.8				
2.2 सुरक्षा दियाल / धेरबाड के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना	2,000	225	469.8				
2.3 अग्रिम सुरक्षा के लिये प्रशिक्षण / प्रोत्साहन	2,000	310	647.28				
भूमि एवं जल संरक्षण कार्य							
4 दियिंग अप कार्य							
5 अन्य कार्य	2,000	200	117.6				
6 योग तृतीय चरण							



परियोजना का नाम :
प्राइवेट एम्प्रेस

۲۹

1812-1813 - 1814 - 1815

यून अधिकार विधिनियम 2006 ने अज्ञाति दावामहि लगाया है।

CHART THE 100 BLESSINGS.

श्राम पंचामत का शाम = १५००
त्रितीयहरील २५००, चिला ३५००

शंकरपति प्राणाण पद्म

उत्तरश्चिह्न एवं जनापद के अन्तर्गत —
के निराण हैं (—) को आरपित वन भूमि
यन्तराल सहित भूमि (—) है। सिद्धिल सोयम भूमिका/ है।
विषाणु /सारस्या के पश्च में वास्तु संख्या प्रयोगा में वर्णन

उत्तर प्रदेश के विषय में याम गंचारायत संघर्ष के दृष्टि से बाधा दिनांक 11.12.2011 के सामाजिक योग समाज/प्राचीन प्राचारपाली वैदिक में प्रयोगस्ता एजेंटसी द्वारा आवेदित वन भूमि वन संघर्ष में अनापत्ति प्राप्त वन नियां करणे हेतु गिरस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकारी विधिनियम, 2006 के प्राधिकारों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गांधीजी का कब्जा/कृषि कार्य के दाखला नहीं। * उपरिष्ठ सभी गांधीजी के आदिवासी अथवा गैर आदिवासी के किया गया कि उक्त वन भूमि में जिसी भी आदिवासी अथवा परियोजना के निर्माण हों कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त परियोजना के वन भूमि पर ग्रामका सियों के प्रस्तुत वन भूमि पर ग्रामका सियों के आवेदित वन भूमि पर ग्रामका सियों के

चर्चा के उपसंचार ग्रन्थालय सर्वोत्तमति से निरन्य लिपा गया / ग्रन्थालय पारिषद्
विद्या विद्या कि शास्त्रीया के ग्रामसाधियों को उच्चत दुन मूर्ख प्रयोगता एजेन्ट्सी को परियोजना के निर्गण हेतु हिन्दू शास्त्रों पर
कोई आपत्ति नहीं है।

ग्रन्थालय प्रधान
प्राप्ति विवरण
प्राप्ति विवरण
प्राप्ति विवरण

चोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा बनारसी को निजी भूमि प्राप्ति हो रही है, तो उद्दृश्य उसका पिचरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप सिवायिकारी रूपे अध्यक्षता में गठित शमिति बासा प्राप्त कर प्रयोगता एजेन्टी को उपलब्ध करायेगा।

ભાયાપત્રિ સત્યાગ્રહ
સહાયક અધિકારી
પ્રાથમિક નિર્દિષ્ટ
યાનીએવું

दिनांक २०२२ को ग्राम सभा की सम्पन्न वैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत लेखी

क्रमांक	ग्राम सभा में चयनित घरिकुल ग्रामपालियर के नाम	हस्ताक्षर
१	जीरागढ़ी	विजय राज
२	दृष्टिराम	विजय राज
३	दृष्टिराम	विजय राज
४	अवोल भाग	विजय राज
५	विजय राज	विजय राज
६	विजय राज	विजय राज
७	विजय राज	विजय राज
८	विजय राज	विजय राज
९	विजय राज	विजय राज
१०	विजय राज	विजय राज
११	विजय राज	विजय राज
१२	विजय राज	विजय राज
१३	विजय राज	विजय राज
१४	विजय राज	विजय राज
१५	विजय राज	विजय राज
१६	विजय राज	विजय राज
१७	दीतीराम राजी	दीतीराम राजी
१८	दीतीराम राजी	दीतीराम राजी

ग्राम पंचायत
प्रधान
महाराजा विजय राज
विजय राज
प्रधान

ग्रामपालियर
सहायक अधिकारी
प्राप्ति ग्रामपालियर
प्रधान
राजीव राजीव
राजीव

मनसा उल्लयोगी लाग्ये तु द्रुतं - असाध्यं - विभूतिः विभूतिः

इन नामिकार शास्त्रियोंने २०२५ के अन्वयों अनुसार प्रवर्णित की हैं।

गुण क्षमापत्र का चाला सुनिश्चित है और उसे नहीं बदला
पायेगा तभी कि वह अपनी जिला कार्यालय
के नियमों का ध्यान नहीं

—**क्षेत्रीय विभागीय निकेतन बोर्ड** का पंचायती दल ८३७ (सं.) वर्षात् दूरु ११० लाख रुपये का विभागीय निकेतन / जमश्वरी है तो साथ साथ उपर्युक्त विभागीय एवं जन मतभास्तु द्वारा इसका विभागीय निकेतन करना।

इसका अध्ययन को विषय ने ग्रन्थ पर्याप्तता देता है। इस विषय को लिखने वाले चूचना धारण करना / इस विषय को देखना एक अपूर्ण शैली द्वारा की जाती है जिसमें विषय ने अवश्य अपनी विषय की विवरण दी है। यह विषय को लिखने वाले अपने अपने विषय की विवरण दी है। यह विषय को लिखने वाले अपने अपने विषय की विवरण दी है।

लग्नेश्वर सभी ग्रामपालनयों क्षेत्र स्वाद किया गया था। इसके बाहर ने लिंगों नीं शाविस्तमी शैवया ने क्लोदेश्वरों को कहना / लक्ष्मी जपने नहीं हिन्दू हो रहे हैं। एकत्र गोदाविर्या परिवारधारा के लिंगों ले लग्नेश्वर का अस्ति धर्म शाविस्तमी के ग्रामपालनों के अधिकारीयों या हस्त नहीं हो रहे हैं वर्ता के उपर्यन्त प्रश्न तक इस चर्चासम्पन्नि में निर्वाचित लेखा गया / इसका परामर्श किया गया है इस उपर्यन्तों को जल नहीं देने

प्राणियोंसमेत का इसके लिये अत्यधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता है।

27

गुरु विद्यालय
काशी नगर
काशी नगर
काशी नगर

१२५

सत्येन्द्र
प्रातःका, लोगोंगीट

४८ राजनीति
पर्व चौथा

ग्राम इकाना / ग्रामपाल
मुख्य सचिव
H.S. Roychowdhury
प्रधान नेता
ग्राम पंचायत-ग्रामपाल
सिंहलाल

दिनांक १०-५-१९८८ को यान भूमि तथा देख की छन्देली
जान पचारत बुलेटिन अंशाङ

क्रमांक	यान सभा में व्यास्थित करिकूट को ग्राहणमित्या के नाम	संसदीय
१-	मुख्य विषय	विजय
२-	विषय विषय	विजय २१/८८
३-	विषय विषय	विजय
४-	विषय विषय	विजय १०८

यान भूमि / संसद
प्रधानमंत्री
 यान व्यास्थित मुख्यमिति, विजय विषय, विजय १०८ की आम पंचवार्षीय विभाग
 द्वारा देखा गया। विजय विषय, विजय १०८ की आम पंचवार्षीय विभाग
 द्वारा देखा गया।

प्रधानमंत्री

H.S. Rawat

चायाप्रति चायाप्रति
सहायक अनियन्ता
प्राप्ति, लो०निदि०
रामेश्वर

दिनांक १०३/१८/५९ को शान सभा को अचान वेटक बी उन्नीस्थाने
ग्राम पचापति बुम्हा

क्रमांक	नाम तथा वर्षानुसार संक्षिप्त वरिष्ठ की प्राप्तिकाल	को-पान	हस्ताक्षर
1-	लक्ष्मी देवी	१५	लक्ष्मी देवी
2-	श्री राम	१५	श्री राम
3-	श्री हनुम	१५	श्री हनुम

प्राण भावन / चरणव
१९।६

क्षेत्रान्तराल

द्वय धन्दायता भूमिका
विष फूल लाले (अलोक)

प्राम पंचायत-सुरारोहि
विष० सर्वालै-वालोहि

प्रायोग, लोगिन्स
संवादक अनियता
चार्यापत्रि महत्यापित
राजनीतिक

一
四
七

त्रिविद्या विद्यां विद्या-विद्यां विद्या-विद्या-

३८७ राजकीय अधिनियम २००५ के अन्तर्गत कानूनी विवर

पहला दृश्यमान के विषय में गुरु पंचायत बोले- **क्लॉकर** का विकास अन्त में भी वापिस वापस होना / यह पंचायत की कैफव
ने एकेकारा पाणे स्वीकृत होना अपेक्षित है जब इसके निवेदन में लगाऊंचा विशेष वक्त विभिन्न लोगों से होता है लिखते रखते होते हैं। यह तिथि एवं संवेदन
अविवितता व्यापक होने का अधिकारी भी दृढ़ता से अद्वितीय अविवितता व्यापक होने का अधिकारी भी दृढ़ता से अद्वितीय होता है।
लास्टिक्स कमी प्राप्तप्रतिस्पेन्डर छाता रहता है यह चाहे लकड़ का भूमि में लिंगों ने आदेशप्राप्त कर लिए विवरानी का अध्ययन / फौजे धार्य नहीं
विषय वा ऐसी हस्तांतरणीय वारदातेवा के निर्वाचन हैं काव्योदयों का निर्वाचन कर ग्रन्थालयीदें के प्रशंसनात्मक क्षेत्रों पर छाता रहते होते होते हैं ताकि विषय का ग्रन्थालयीदें के निर्वाचन विषय लिया गया / विषयालय प्राप्ति किया गया कि ग्रन्थालयीदें के लिए आपूर्ति दर्शक हैं।

Digitized by srujanika@gmail.com

देहादि शब्द से पता चक्रकलानी।
पृष्ठ ५१० - विवरण,
विवरण-विवरण-विवरण (विवरण)

प्राप्तिकाम
प्राप्तिकाम पापाद्वये यज्ञो लभते
प्राप्तिकाम पापाद्वये यज्ञो लभते

१३८

सहायक अधिकारी
प्राप्ति, लोनिविद
राजीवेत

दिनांक १०-३-२०८५ तारीख पर नाम की जमीन बेचके की उपस्थिति
उपराक - कला। ७९ ग्राम पालयत

क्रमांक	ग्राम सत्त्वा के उपराकता दाखिल को अक्षयांशीया के नाम	इत्तमांकर
१	वर्गक नाम / आड-पुर्ख	१०८०
२	वर्गक नाम / अचूक एवं अम्	१०८०
३	वर्गक नाम / लुमाला शेरा	१०८०
४	वर्गक नाम / चारी राम	१०८०
५	वर्गक नाम / चारी राम	१०८०
६	वर्गक नाम / वर्गी राम	१०८०
७	वर्गक नाम / वर्गी राम	१०८०

ग्राम

ग्राम प्रकाश

ग्राम प्रकाश
ग्राम प्रकाश
ग्राम प्रकाश

ग्राम प्रकाश
ग्राम प्रकाश
ग्राम प्रकाश

छायाप्रति प्रत्यापित

सहायक अधिकारी
प्राप्ति. १०८०
रानीखेत

पारियोजना का नाम —

प्राव-232 अधिकारी लेखनी-प्रश्नालय गोदान

आजूसुचित जनजाति और परापरागत जनवासी अधिनियम 2006 के तहत

कार्यालय द्वारा निराकारी विवरण

उपर्युक्त सत्रीय समिति, प्रगति
उपर्युक्त सत्रीय समिति, उपर्युक्त

उपर्युक्त प्रगति के अन्तर्गत द्वारा निराकारी विवरण इसके अन्तर्गत हैं। आरोग्य वन भूमि शिक्षकों एवं सोयम वन भूमि शिक्षकों एवं अधिकारी वन भूमि शिक्षकों एवं शिक्षकों के पास में छराचान्नरिय किये जाने हेतु असूचित जनजाति और दोस्त परापरागत जनवासी (वन अधिकारी वी मान्यता) अधिनियम, 2006 के समान धैठक की कार्यवाही का विषय है—

आजूसुचित जनजाति और दोस्त परापरागत जनवासी (वन अधिकारी वी मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत सप्तशुद्ध रत्नरीय वन आधिकार समिति की धैठक मान्यता की उपर्युक्त सत्रीय विवरण उपर्युक्त सत्रीय वन आधिकार समिति की धैठक में आयोजित की गयी। धैठक में मानवीय विवरणों की उपरिणिति निनानुसार है।

उपर्युक्त जनजाति विवरण की अपरिणिति का विवरण इसके अन्तर्गत जनजाति विवरण की अपरिणिति का विवरण है। विवरण की अपरिणिति का विवरण इसके अन्तर्गत जनजाति विवरण की अपरिणिति का विवरण है। विवरण की अपरिणिति का विवरण इसके अन्तर्गत जनजाति विवरण की अपरिणिति का विवरण है। विवरण की अपरिणिति का विवरण इसके अन्तर्गत जनजाति विवरण की अपरिणिति का विवरण है।

उपर्युक्त सत्रीय विवरण के अन्तर्गत जनजाति विवरण की अपरिणिति का विवरण है। विवरण की अपरिणिति का विवरण इसके अन्तर्गत जनजाति विवरण की अपरिणिति का विवरण है।

उपर्युक्त सत्रीय विवरण के अन्तर्गत जनजाति विवरण की अपरिणिति का विवरण है। विवरण की अपरिणिति का विवरण इसके अन्तर्गत जनजाति विवरण की अपरिणिति का विवरण है। विवरण की अपरिणिति का विवरण इसके अन्तर्गत जनजाति विवरण की अपरिणिति का विवरण है।

उपर्युक्त सत्रीय विवरण के अन्तर्गत जनजाति विवरण की अपरिणिति का विवरण है। विवरण की अपरिणिति का विवरण इसके अन्तर्गत जनजाति विवरण की अपरिणिति का विवरण है। विवरण की अपरिणिति का विवरण इसके अन्तर्गत जनजाति विवरण की अपरिणिति का विवरण है। विवरण की अपरिणिति का विवरण इसके अन्तर्गत जनजाति विवरण की अपरिणिति का विवरण है। विवरण की अपरिणिति का विवरण इसके अन्तर्गत जनजाति विवरण की अपरिणिति का विवरण है। विवरण की अपरिणिति का विवरण इसके अन्तर्गत जनजाति विवरण की अपरिणिति का विवरण है।

जायाप्रति सत्यापित

सहायक डिपिन्युट
प्राथेय, लोनिविंविं
नामिनेन

द्वितीय वेदक में सर्वसमति ये उपर्युग्म हैं। यन्नापि प्रत्यावहित किये जाने पर सहमति यथात् की गयी।

परियोजना के अन्तर्गत परियोजना के नियम केवल 1044 संसदीय प्राप्त करने में सकाम ग्राहिकारी से अनुमति प्राप्त कर

卷之三

प्रारंभिक : जियोथिकारी

गो गुरुनाथ पवित्र विद्यारक लोकशारी हेतु ।

पुरोही.

Digitized by Google

सहायक अभियन्ता :
प्राणखो, लोगनिर्दि
शनीज्ञेन

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपराज्यमुख सचिवाय पद अधिकार चयनित
तात्परील- ३ नवंबर १९५८
जनपद ३ नवंबर १९५८

परमित्येवं अस्माकं विद्युतं—प्राप्तं च
प्राप्तं च विद्युतं अस्माकं परमित्येवं

दुष्टा चित्ताभिकारी उत्थान्ते
प्रसादः अनुभवः

प्रमाण पत्र 23.3

जिलाधिकारी, अलोडा, उत्तराखण्ड

1. परियोजना का नाम - संकुलित विद्युत समिक्षा एवं वित्तीय विभाग

परा अधिकार अधिनियम-2006 के अनुरूप जनपद सभीय नैयक नि
योगी विभाग द्वारा दिया गया।

जनपद अलोडा के अन्तर्गत बनायी पर प्रस्तावित संकुलित विद्युत
वित्तीय विभाग के निर्माण हेतु 1044 है।
बनायी का अधिकारी अभियन्ता, प्रान्तीय छापड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता
एजेंसी को प्रत्याचरित किये जाने हेतु उपजिलाहिकारी/अध्यक्ष, उपराष्ट्र सत्रीय वन
अधिकार समिति, अलोडा तथा सम्बन्धित ग्राम समाजों द्वारा प्रदर्श अनापत्ति प्रमाण पत्रों
के अनुसार परियोजना के शिरण में किसी अनुरूपित जानलालि व बनवासी की भूमि
अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली बन भूमि में कोई
भी दावा लास्थित नहीं है।

6 अगस्त 2021

जिलाधिकारी
अलोडा

विद्युत विभाग उत्तराखण्ड राज्य सरकार

चायाप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रांख्य, लोनीपुर
रानीखेत

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S. Deputy Commissioner, Almora on date.....03.03.2011.....at time....3.10.P.M.....application claiming rights ofconstruction of Highway; Kailani; Region 6; Sector 23.....area measuring 1.622. hect, for the construction of Highway; Kailani; Region 6; Sector 23.....of Forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :


Signature
O P O P Y S

(Full name of the official seal of the District Collector)
निलौल अधिकारी
मण्डपा


छायाप्रति सत्यापित
सहायक अधिकारी
प्रांख्य, लोगिनिओ
राजीवेत

It is further certified that

S.N.	Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 1000 ha. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committees are enclosed annexure 1 to annexure.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and marginal cultural communities.

Enclosure As above


Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)


छायापति सत्यपिता

सहायक अधिकारी
प्र०ख०, लोनिंगो
रानीखेत

FORM-I
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Almora

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN
No : Dated:

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-938-EC(IV) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights), Act 2006 letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that, I, Shyam Singh,,holder of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development PPA Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Shyam Singh, [Signature], Khasiyan, Deoria, R.P.H.

(Purpose for diversion of forest land in P.D.P.A.,District falls within Jurisdiction of Hill Village(s) in Khasiyan, Tehsil,

I, is further Certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the P.R.A has been carried out for the entire area.....Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure.
- The diversion of forest land for hillslides managed by the Government as required under section 3(2) to the P.R.A have completed and the Gram Sabhas given their consent to it.
- The proposal does not involve recognition of primitive Tribal Groups and agricultural communities.

Enclosed above

S/AM.

Officer in Charge, P.D.P.A.

District Collector, Almora


Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

छायापति संस्थापित
सहायक अमितना
प्रांखो, लोगिनोदि
रानीयत

का नाम— जगपद अल्मोड़ा में विधानसभा लोक सभा के अंतर्गत धृधुती-कैलानी-
गरामोली गोटर मार्ग का नियान

Survey Of India Map (Compensatory Afforestation)



Legend :-

CA Area Ugliyason 1.088 HE

~~QX/11~~ ~~CP/11~~
~~A/A E~~

उप प्रभागीय वनादिकारी
अल्मोड़ा उप वन प्रभाग, अल्मोड़ा

छायाप्रति सत्यापित

सहायक अग्नियन्ता


प्राथमिक, लोगोनियो

सानीखेत

~~Map~~
प्राथमिक वनादिकारी
प्रान्तीय खण्ड, दोल निर्वाचन नियान
सानीखेत (अल्मोड़ा)
अधिकारी अग्नियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, दोल निर्वाचन नियान
सानीखेत (अल्मोड़ा)

का नाम— जनपद अल्योड़ा गें विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अंतर्गत घुघुती—कैलानी—
मरामोती गोटर गार्ग का निर्गण

Geo reference map (Compensatory Afforestation)



Legend :-

● GPS

CA Area Ugliyasim 1.088 HE

0.00 0.02 0.04 0.06

Kilometers

प्राकृतिक वनाधिकारी,
अल्योड़ा वन प्रशासन, अल्योड़ा।

छायाप्रति भूत्यापित

सहायक अधिकारी
प्रा०खा०, लो०ग्नि०वि०
रानीखेत

उप प्रभारीय वनाधिकारी
अल्योड़ा उप वन विभाग, अल्योड़ा

प्रभारीय वनाधिकारी
प्राकृतिक खण्ड, लो०ग्नि०वि०
रानीखेत (जल्योड़ा)

प्रभारीय वनाधिकारी
प्राकृतिक खण्ड, लो०ग्नि०वि०
रानीखेत (जल्योड़ा)

प्रभारीय वन प्रशासन



Scanned with OKEN Scanner